नाथूराम बनाम आम जनता ग्रामवासी भंवरपुरा जरिये भंवरलाल व अन्य

अपील / पंचायत / 01 / 2017 (2017 / 00019)

तारीख हुक्म	हुक्म व कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपीः– श्री रामसुख चौधरी रेस्पो0 : श्री सहदेव चौधरी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13-03-23	पत्रावली आज प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी वास्ते अपील संधारण योग्य नही होने से खारिज किये जाने बाबत पर निर्णयार्थ पेश हुई। रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो को दौहराते हुए निवेदन किया कि यह अपील अन्तर्गत धारा 97(2) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध आदेश दिनांक 23.01.2001 अतिरिक्त जिला कलक्टर डीडवाना के विरूद्ध प्रस्तुत की है, जिसमे ग्राम पंचायत उगरपुरा द्वारा जारी गैर कानूनी पट्टा आदेश दिनांक 9.10. 2001 के विरूद्ध रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 7 ने आम जनता ग्राम भंवरपुरा की हैसियत से अतिरिक्त जिला कलक्टर डीडवाना के समक्ष निगरानी याचिका संख्या 21 / 2016 रेस्पो० संख्या 8 लगायत 12 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी थी जिसमें अपीलान्ट नाथूराम द्वारा आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसको अतिरिक्त जिला कलक्टर डीडवाना ने वैधानिक तौर पर निर्णय दिनांक 23.01. 2017 के द्वारा खारिज किया जिसके विरूद्ध कानूनन अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त अपील माननीय न्यायालय के समक्ष संधारण योग्य नही है। अपीलाधीन आदेश विधिक आधार पर भी अपील सव्यय खारिज किये जाने योग्य है। रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता का यह कथन है कि अपीलाधीन आदेश मे सुनवाई का क्षैत्राधिकार न्यायालय हाजा को नही है। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97(2) के तहत प्रस्तुत की गई है। जिसे सुनवाई व निस्तारण का क्षैत्राधिकार न्यायालय हाजा को नही होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी वास्ते अपील संधारण योग्य नही होने से खारिज किये जाने का स्वीकार किया जाकर अपील को इसी स्तर पर खारिज फरमाया जाने का निवेदन किया है। उक्त रेस्पोडेन्ट अभिभाषक द्वारा की गई बहस के जवाब मे अपीलान्ट अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि उनके द्वारा प्रस्तुत अपील राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97(2) के तहत प्रस्तुत की गई। जिसकी सुनवाई का क्षैत्राधिकार न्यायालय हाजा को होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी वास्ते अपील संधारण योग्य नही होने से खारिज किये जाने का खारिज किया जावे तथा अपील गुणावगुण पर निर्णय पारित करने का निवेदन किया है।	

Scanned with CamScanner

नाथूराम बनाम आम जनता ग्रामवासी भंवरपुरा जरिये भंवरलाल व अन्य

अपील / पंचायत / 01 / 2017 (2017 / 00019)

तारीख हुक्म	हुक्म व कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अपीः— श्री रामसुख चौधरी रेस्पो0 : श्री सहदेव चौधरी	

उभयपक्ष अभिभाषक की सुनी बहस पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। जिससे यह स्पष्ट है कि यह अपील अन्तर्गत धारा 97 (2) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध गलत व्याख्या कर न्यायलय मे प्रस्तुत की गई है जबकी अपील अन्तर्गत धारा 97—क(2) के अन्तर्गत **"इस अधिनियम के अधीन या तद्धीन बनाये गये किसी नियम के अधीन किये गये या जारी किये जिला परिषद के किसी आदेश या निदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति इस प्रकार किये गये आदेश या निदेश के विरूद्ध अधिकारिता रखने वाले खण्ड आयुक्त को ऐसे आदेश या निदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर—भीतर अपील कर सकेगा और उक्त कालावधि की संगणना मे उसकी प्रति प्राप्त करने मे लगा समय अपवर्जित किया जायेगा"** का अंकन किया गया है, इस आधार पर अपील मे सुनवाई का अधिकार न्यायालय को नही है। अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी वास्ते अपील संधारण योग्य नही होने से खारिज किये जाने का स्वीकार किया जाता है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.01.2017 इस न्यायालय के क्षैत्राधिकार मे नही होने से अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

संभागीय आयुक्त
अजमेर

Scanned with CamScanner